न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 3078–दो / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–07–2013 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर के प्रकरण कमांक आर.ई.सी / 53 / 2009–10

.....

मैसर्स ग्रेट गेलियन लिमिटेड सेजवाया
जिला धार म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–आबकारी आयुक्त, ग्वालियर मध्यप्रदेश

मोतीमहल ग्वालियर मध्यप्रदेश

2–कलेक्टर (आबकारी) जिला धार

3–उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता

जिला इंदौर म0प्र0

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एच.के.अग्रवाल, पेनल अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/16 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 62(2)–सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आबकारी अधिकारी के द्वारा दिनांक 24–07–2008 को आदेश पारित कर निर्धारित मार्गहानि से अधिक हुई मार्गहानि की मात्रा 795.7 प्रूफलीटर पर तत्समय विदेशी मंदिरा पर प्रति प्रूफलीटर

देय डयूटी की दर रुपये 180 प्रति प्रूफलीटर की दर से 1,43,226/– रुपये शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रथम अपील कलेक्टर(आबकारी) जिला धार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर(आबकारी) जिला धार द्वारा आदेश पारित कर आबकारी अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । कलेक्टर (आबकारी) जिला धार के आदेश के विरूद्ध अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 27–7–2013 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी इकाई को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी इकाई द्वारा आबकारी अधिकारी के समक्ष ज़बाव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में आबकारी आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा वाहन से विदेशी मदिरा परिवहन की गई थी और देवास जिले के सोनकच्छ के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिस कारण निर्धारित मार्गहानि से अधिक हानि हुई है, जो कि अपीलार्थी के वश में नहीं थी । इस स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, इसलिये भी आबकारी अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अपीलार्थी ईकाई द्वारा स्प्रिट परिवहन में निर्धारित मात्रा से अधिक मार्ग हानि के संबंध में अपीलार्थी इकाई द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि

उक्त मार्गहानि अपरिहार्य कारणों से हुई है । ऐसी स्थिति में आबकारी अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति उचित है जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है, अतः अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आबकारी उपायुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा म0प्र0 आसवनी नियम, 1995 के नियम 6(4) में निर्धारित मार्ग हानि से 795.7 प्रूफलीटर अधिक मार्ग हानि की गई है । आबकारी उपायुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु उनके द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि निर्धारित मार्गहानि से हुई अधिक मार्ग हानि अपरिहार्य कारणों से कारित हुई है और उसमें अपीलार्थी इकाई की कोई असावधानी नहीं है अतः आबकारी उपायुक्त द्वारा नियम 8(4) के अन्तर्गत निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि की तीन गुना शास्ति रुपये 1,43,226/–/– अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । आबकारी आयुक्त भी अपीलार्थी इकाई को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु उनके समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा यह भी तथ्य प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि निर्धारित मार्ग हानि से हुई अधिक मार्गहानि अपीलार्थी इकाई की असावधानी से नहीं हुई है । अतः आबकारी आयुक्त द्वारा भी आबकारी उपायुक्त के आदेश की पुष्टि करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

6/ दर्शित परिस्थितियों के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2013 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर